

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।**

सत्र परीक्षण संख्या-838 / 2023

राज्य बनाम प्रदीप आदि।

**आरोप**

मैं संतोष कुमार-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर आप अभियुक्तगण प्रदीप, नफीस खां, अंसार खां, समीर खां व कलीम खां को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 26.04.2021 को समय करीब 8.00 बजे रात बहद स्थान ग्राम भद्दौर, थाना मुसाफिरखाना, जिला अमेठी में आप लोगों ने मारपीट करने के उद्देश्य से एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया, जिसके आप सभी सदस्य थे। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 147 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घातक असलहा (तमंचा, लाठी, डण्डा, लोहे की राड) से सुसज्जित होकर उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा-148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादिनी मुकदमा के पति, वादिनी के देवर (चचेरे) अकरम खां व गांव के जफरुद्दीन और परिवारजनो को तमंचा, लाठी, डण्डा, लोहे की राड से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 / 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पति, वादिनी के देवर (चचेरे) अकरम खां व गांव के जफरुद्दीन और परिवारजनो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा-506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादिनी मुकदमा के पति, वादिनी के देवर (चचेरे) अकरम खां व गांव के जफरुद्दीन और परिवारजनो को जान से मार डालने की नीयत से तमंचा, लाठी, डण्डा, लोहे की राड से हमला कर दिया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा-307 / 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

Sd/-  
(संतोष कुमार-III)  
दिनांक-09.05.2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया।  
अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

Sd/-  
(संतोष कुमार-III)  
दिनांक-09.05.2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या-838 / 2023

राज्य

बनाम

प्रदीप आदि।

दिनांक-09.05.2024

आज पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण प्रदीप, नफीस खां, अंसार खां, समीर खां व कलीम खां मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 147, 148, 323 / 149, 506 307 / 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना किया। पत्रावली दिनांक 04.06.2024 को साक्ष्य हेतु नियत की जाती है।

Sd/-

(संतोष कुमार-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

दिनांक-09.05.2024